

प्रेस नोट

सरहनीय कार्य थाना चाँदा जनपद सुलतानपुर



आज दिनांक 01.08.2022 श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सुलतानपुर, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लम्बुआ जनपद सुलतानपुर के दिशा निर्देशन मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर तातो मार्ग बडी नहर पटरी से गोवंशीय पशु को गोवध करने के लिये ले जा रहे अभियुक्त गण को रात्रि 00.50 बजे मय अवैध असलहा मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व गोवध करने हेतु चाकू , चापड , रस्सी के साथ हिरासत पुलिस में लिया गया ।

गिरफ्तार व्यक्ति का नाम –

1. भोलू उर्फ इरसाद पुत्र रफीक खान निवासी ग्राम तातो मुरैनी थाना चाँदा जनपद सुलतानपुर
2. सहाबुद्दीन उर्फ बखेडू पुत्र समशाद निवासी शाह ग्राम मलाकदोषीपट्टी थाना चाँदा जनपद सुलतानपुर
3. सकील पुत्र इद्रीश निवासी ग्राम तातोमुरैनी थाना चाँदा सुलतानपुर

गिरफ्तारीकर्ता अधिकारी कर्मचारीगण:-

श्री सुरेश कुमार पटेल चौकी प्रभारी गारवपुर थाना चाँदा सुलतानपुर
का0 मिथिलेश त्रिपाठी चौकी गारवपुर थाना चाँदा सुलतानपुर
का0 सतेन्द्र कुमार थाना चाँदा सुलतानपुर
का0 राजीव यादव थाना चाँदा सुलतानपुर

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद तमचा देशी अवैध 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर अभियुक्त सहाबुद्दीन के पास से बरामद
2. 02 अदद चाकू अभियुक्त साहबुद्दीन व शकील के पास से बरामद
3. एक अदद चापड
4. एक अदद ठीहा ,

5. 02 अदद रस्सी ,

6. 02 बोरी जूट का

7. एक राशि गोवंशीय पशु

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0 271/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम

2. मु0अ0सं0 272/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट विरुद्ध सहाबुद्दीन

अपराधिक इतिहास अभियुक्त भोलू उर्फ इरसाद पुत्र रफीक खान निवासी ग्राम तातो मुरैनी थाना चांदा जनपद

सुलतानपुर

1.मु0अ0सं0 271/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदा सुलतानपुर

2.मु0अ0सं0 36/2019 धारा 2/3 (1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चांदा सुलतानपुर

3.मु0अ0सं0 444/2018 धारा 3/5/8 गोवध थाना चांदा सुलतानपुर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सहाबुद्दीन उर्फ बखेडू पुत्र समशाद निवासी शाह ग्राम मलाकदोषीपट्टी थाना चांदा

जनपद सुलतानपुर

1.मु0अ0सं0 271/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदा सुलतानपुर

2.मु0अ0सं0 272/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदा सुलतानपुर

3.मु0अ0सं0 95/2019 धारा 3/5/8 गोवध थाना चांदा सुलतानपुर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सकील पुत्र इद्रीश निवासी ग्राम तातोमुरैनी थाना चांदा सुलतानपुर

1.मु0अ0सं0 271/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदा सुलतानपुर

प्रभारी निरीक्षक

थाना चाँदा सुलतानपुर